

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1982/पौष 12, 1903

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1982/PAUSA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० जा० 4(अ)/सं० ई०(सी०) भो०, 1977/ए० एम० (231):—आयात एवं निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आने संशोधन करने के लिए
एतद्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में—

- (1) भाग "ख" अनुसूची-1 में क्रम सं० 78 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि और खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 70 के सामने दर्शाई गई समरूप प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
- (2) भाग "क" अनुसूची-1 में निम्नलिखित को क्रम सं० 72 के बाद जोड़ा जाएगा :—
"73. चांदी के सिक्के (चांदी की मात्रा को ध्यान में रखे बिना)

टिप्पणी :—समय-समय पर जारी किए गए स्मृति प्रूफ सेट सिक्कों (अप्रचलन क्वालिटी) के निर्यात की स्वीकृति केवल भारत के टकराल, बंबई द्वारा ही जाएगी और सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे निर्यातों के लिए सीधे ही अनुमति प्रदान करेंगे।"

[मि० सं० 21/3/80/ई० 1 से जारी]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 2nd January, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 4(E)/No. E(C)O, 1977/AM(231).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1982.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

- (i) In Part 'B' Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 78 and the corresponding entry appearing at S. No. 70 in OGL 3 shall be deleted.
- (ii) In Part 'A', Schedule I, the following shall be added after S. No. 72:

"73. Silver Coins (irrespective of the Silver Content)

Note :—Commemorative proof set coins (uncirculated quality) issued from time to time will be permitted to be exported only by India Government Mint, Bombay and the Customs authorities will directly allow such exports."

[F. No. 21/3/80-E]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.